# उपायुक्त का न्यायालय,कोडरमा

सरफेसी केस नं0-31/2015

ब्रांच मैनेजर, युनियन बैंक, रॉची बनाम श्री नरेन्द्र कुमार कपसिमे एवं 01 अन्य।

## आदेश

10.09.16

आवेदक ब्रांच मैनेजर, युनियन बैंक, रॉची द्वारा सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र कुमार कपसिमे एवं 01 अन्य, आर्या रोड, वार्ड नं0-05 झुमरीतिलैया, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा के विरूद्ध सरफेसी केस दायर किया गया है।

युनियन बैंक, रॉची शाखा से 6,08,293=50/- (छः लाख आठ हजार दो सौ तिरानब्बे रू0 पचास पैसे0 सूद सहित 31.07.2014 तक की राशि विपक्षी द्वारा प्राप्त करने के उपरान्त बैंक को उक्त राशि विपक्षी द्वारा वापस नहीं करने के कारण उक्त एक्ट के अंदर वाद दायर किया गया है। मौजा-तिलैया, थाना नं0-244 के खाता नं0-138, प्लॉट नं0-6987, रकवा-1.18 डी0 (लगभग 516 एस्क्वायर फीट ) Security के रूप में बैंक में रखी गई है। निबंधित केवाला नं0-3432/4336 दिनांक 20.04.1966 से उक्त भूमिक्रय की गई है।

ब्रांच मैनेजर, युनियन बैंक, रॉची द्वारा सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत उक्त भूमि का Physical Possession लेने का अनुरोध किया गया है।

दिनांक 03.02.2016 द्वारा विपक्षी नरेन्द्र कुमार कपसिमें पिता-स्व0 चन्दू राम, साकिन-ताराटांड, वार्ड नं0-09, आर्या रोड, झुमरीतिलैया, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा को नोटिस निर्गत किया गया।

दिनांक 08.09.2016 को सुनवाई के दौरान विपक्षी एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा शपथ पत्र दाखिल कर कहा गया है कि युनियन बैंक ऑफ इंडिया से जो मैं रूपया या ऋण प्राप्त किया हूं उसे मैं तीन किस्तों में या छः मुहीने के अन्दर चुका दूंगा। सुनवाई के दौरान बैंक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा विपक्षी के शपथ पत्र पर सहमति दी गई कि यदि विपक्षी छः माह के अन्दर या तीन किस्तों में ऋण चुका देते हैं तो वाद की कार्रवाई समाप्त की जा सकती है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा द्वारा कहा गया कि यदि विपक्षी द्वारा दायर शपथपत्र से बैंक के अधिवक्ता सहमत है तो वाद की कार्रवाई समाप्त की जा सकती है।

अतः इस निदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है कि विपक्षी श्री नरेन्द्र कुमार कपसिमे एवं 01 अन्य, आर्या रोड, वार्ड नं0-05 झुमरीतिलैया, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा आदेश निर्गत होने की तिथि के छह माह के अन्दर ऋण की बकाया राशि, सूद सहित सहित बैंक में जमा कर देंगे।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त, कोडरमा। 10/9

उपायुक्त का न्यायालय कोडरमा

10/9
उपायुक्त
कोडरमा।